10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

25

द्वारा आज दि. 17/10/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-10-17

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

राजस्व निगरानी कं0 I/निगरानी/सिवनी/भू.रा/2017/3949 — प्रस्तुत दिनांक 12/10/2017

1. श्रीमति जयंती बाई पत्नि कल्लू, उम्र लगभग 57 वर्ष,
2. कल्लू आ0 रामदयाल कुर्मी, उम्र लगभग 60 वर्ष,
   दोनों निवासी ग्राम कलबोडी,
   तह0 कुरई, जिला सिवनी -----निगरानीकर्तागण/पुनरीक्षणकर्तागण

//विरूद्ध//

1. सावित्री बाई पत्नि बैजनाथ, उम्र लगभग 68 वर्ष,
   निवासी ग्राम नगझर, तह0 व जिला सिवनी
2. सिम्मो उर्फ समनो बाई पत्नि सुखलाल, उम्र लगभग 62 वर्ष,
   निवासी मंगलीपेठ, सिवनी, तह0 व जिला सिवनी
3. पुष्पा बाई पत्नि विनोद कुसरेठे, उम्र लगभग 57 वर्ष,
   निवासी ग्राम नेरजमुनिया, जिला छिन्दवाडा
4. लता बाई पत्नि सीताराम पटेल, उम्र लगभग 39 वर्ष,
   निवासी बैलबाजार, छिन्दवाडा, जिला छिन्दवाडा
5. अंजूबाई पत्नि मनोज चंदेल, उम्र लगभग 36 वर्ष,
6. विमला बाई पत्नि स्व0 अरूण पटेल, उम्र लगभग 33 वर्ष,
7. शुभांशु पटेल आ0 स्व0 अरूण पटेल, उम्र लगभग 14 वर्ष,
8. शुभांगी आ0 स्व0 अरूण पटेल, उम्र लगभग 11 वर्ष,
   क्रं0 7 एवं 8 अवयस्क वली मां विमला पत्नि स्व0 अरूण पटेल,
   कं0 5 से 8 निवासी ललमटिया सिवनी, तह0 व जिला सिवनी
9. कवित्री उर्फ कविया बाई पत्नि रतिराम, उम्र लगभग 64 वर्ष,
   निवासी ग्राम आमगांव, तह0 व जिला सिवनी
10. बैजन्ती बाई पत्नि रामनारायण चन्देल, उम्र लगभग 58 वर्ष,
    निवासी ग्राम सुकवाह, तह0 व जिला सिवनी
11. परमिला उर्फ प्रमिला पत्नि रतन चन्देल, उम्र लगभग 36 वर्ष,
    निवासी ग्राम आमगाव, तह0 व जिला सिवनी
12. सतानंद आ0 पुरूषोत्तम चन्देल, उम्र लगभग 5 वर्ष,
    निवासी ग्राम आमगांव,
    तह0 व जिला सिवनी ---------------उत्तरवादीगण/अनावेदकगण

पुनरीक्षण/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0।

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय कुरई के राजस्व प्रकरण कं0 0044/अ-27/2016-17 जिसमें पक्षकार सावित्री बाई वगैरा-आवेदकगण

/2/

कल्लू

जयंती

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – सिवनी

प्रकरण क्रमांक – एक / निग0 / सिवनी / भू.रा. / 2017 / 3949

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–11–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र स्वामी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया यह निगरानी तहसीलदार, कुरई जिला सिवनी के अंतरिम आदेश दिनांक 20.9.17 के विरूद्ध पेश की है जिसमें उन्होंने आवेदक कल्लू द्वारा किए गए मौखिक निवेदन पर से सिविल डिक्री के विरूद्ध जिला न्यायालय में प्रस्तुत अपील में स्थगन नहीं होने से प्रकरण वास्ते फर्द पत्रक हेतु नियत किया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जिला न्यायालय सिवनी द्वारा उनके पक्ष में कोई स्थगन दिया गया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । 3/ परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	23/11/17